राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

''राजीव गॉधी कृषक साथी योजना 2009''

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए **कृषक साथी**' योजना बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से ''**किसान जीवन कल्याण योजना**'' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (78)कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा ''किसान जीवन कल्याण योजना'' को संशोधित कर ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009'' के रूप में लागू की गई है।

''**राजीव गॉधी कृषक साथी योजना 2009**'' में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गॉव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना मे मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा :–

1. कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रो का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल हैं)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली करन्ट लगने का खेत में गुजरने वाली विधुत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्यमण्डी यार्ड, उपमण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली, ऊँट लढ्ढा, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्ताकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्ताकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गॉव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी–स्केल्पिंग) पर।
11. कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सॉप या जहरीले जानवर के काटने/ऊँट के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगो की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगो के स्थायी रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुऐ सहायता राशि देय होगी।

15. कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेड़ो की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुऐ दुर्घटना घटित होने पर।

इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 09.12.09 के पश्चात के प्रकरणों में निम्न प्रकार सहायता देय होगीः–

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	**सहायता राशि हेतु परिस्थिति**	**देय सहायता राशि**
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	1,00,000/–
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनो आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50,000/–
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	40,000/–
4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी–स्केल्पिग होने पर	40,000/–
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केल्पिग होने पर	25,000/–
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25,000/–
7.	चार अंगूली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	15,000/–
8.	तीन अंगूली कट जाने पर	10,000/–
9.	दो अंगूली कट जाने पर	10,000/–
10.	एक अंगुली कट जाने पर	5,000/–

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा समय–समय पर परिवर्तित योजनाओं में दी गई सहायता राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः– **(माह जुलाई, 2010 तक)**

क्र.सं.	वर्ष	बजट प्रावधान (लाख रूपये)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	सहायता राशि (लाख रूपये)
1.	1991–92 से 1994–95 तक	–	–	18.03
2.	1995–96	40.00	240	29.26
3.	1996–97	50.00	321	49.07
4.	1997–98	60.00	386	60.00
5.	1998–99	100.00	585	98.62
6.	1999–2000	120.00	730	119.98
7.	2000–01	120.00	680	119.98
8.	2001–02	255.00	1103	199.23
9.	2002–03	350.00	1866	349.17
10.	2003–04	400.00	1810	392.42
11.	2004–05	400.00	1837	400.02
12.	2005–06	900.00	1596	533.17
13	2006–07	900.00	2781	902.04
14.	2007–08	1200.00	3624	1190.40
15.	2008–09 बोर्ड द्वारा	600.00	1373	460.81
16.	2008–09 बीमा विभाग द्वारा	1249.44	2848	942.66
17.	2009–10 बोर्ड द्वारा	300.00	665	227.575
18.	2009–10 बीमा विभाग द्वारा	937.55	1265	418.45
19.	2010–11 बोर्ड द्वारा		0	0
20.	2010–11 बीमा विभाग द्वारा	1654.50	0	0
	योग		**23710**	**6510.885**